न्यायालय–अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, पिछोर,
जिला शिवपुरी म.प्र.

जमानत आवेदन आई.ए. क्रमांक– **01 / 2023**
प्रथम सूचना क्रमांक– **198 / 2022**
प्रथम सूचना दर्ज करने की तारीख– **11.04.2022**
पुलिस स्टेशन का नाम– **खनियांधाना**
जिला–शिवपुरी
गिरफ्तारी / अभिरक्षा की तिथी– **13.05.2022**
चार्जशीट दाखिल दिनांक– **20.07.2022**

————————————————————————

देवचंद्र पुत्र ग्यासिया आदिवासी आयु 45 साल, निवासी ग्राम बाघोली, थाना–खनियांधाना, जिला शिवपुरी म.प्र.।

————— आवेदक

बनाम

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र **खनियांधाना**, जिला शिवपुरी।

————–अनावेदक

————————————————————————

अंतरिम आदेश पत्रिका दिनांक 17.05.2023:–

आवेदक / अभियुक्त देवचंद्र की ओर से श्री बी.एल. लोधी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत किया, कारण सद्भाविक होने से बाद विचार प्रकरण सुनवाई में लिया जाकर जमानत आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी गयी।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश द्विवेदी।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पेश किया। नकल एजीपी को प्रदान की गयी।

आवेदन विधिवत् सी.आई.एस. में दर्ज कर आई.ए. नम्बर 01 / 2023 से चिन्हित किया गया।

आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना खनियांधाना ने फरियादी की एक गलत रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 198 / 2022 अंतर्गत धारा 302, 323, 294, 506 भा.दं.सं. का पंजीबद्ध कर एवं विवेचना उपरांत आवेदक को गिरफ्तार कर सब जेल पिछोर भिजवा दिया है। आवेदक करीब 11 माह से पिछोर जेल में बंद है। आवेदक का उक्त अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रकरण में न्यायालय

के समक्ष साक्षीगण के कथन हो चुके हैं, शेष साक्ष्य होना शेष है। साक्षीगण के कथनों में काफी विरोधाभास है। आवेदक आदिवासी है और उसके पास खेती–किसानी का कार्य नहीं है, केवल लकड़ी बेचकर अपने माता–पिता का भरण–पोषण करता है। आवेदक ग्राम बाघोली थाना खनियांधाना का निवासी है, उसकी अचल संपत्ति उक्त ग्राम में स्थित है, इस कारण उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत की सभी शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से आवेदन के समर्थन में उसके मित्र शपथकर्ता अंकुर पुत्र जयकुमार वर्मा आयु 26 साल निवासी वार्ड क्रमांक 3 नई बस्ती पिछोर, जिला शिवपुरी म.प्र. के द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई आवेदन पत्र इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में न तो पेश किया है, न लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। उक्त संबंध में ए.जी.पी. द्वारा कोई खण्डन नहीं किये जाने से उक्त शपथ पत्र सत्य मान्य किया जाता है।

अनावेदक/राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.पी. ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क किया है कि यदि आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया तो वह निश्चित ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा। अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में अभियोग–पत्र का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया।

अभियोग–पत्र अनुसार दिनांक 11.04.2022 को रात्रि करीब 10:49 बजे फरियादी/मृतक छोटू पुत्र देवचंद्र आदिवासी ने मय हमराह बादलसिंह यादव के उपस्थित थाना आकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 10.04.2022 के शाम करीब 6 बजे जब वह अपने घर पर था, तभी उसका पिता/अभियुक्त देवचंद्र शराब पीकर आया, उसने कहा कि शराब पीकर क्यों आये हो, इसी बात को लेकर उसके पिता/अभियुक्त ने उसे मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां दीं, उसने गाली देने से मना किया, तो उसके पिता/अभियुक्त ने उसकी डंडे से मारपीट की, जिससे उसे पेट व पीठ में मुंदी चोटें आईं। मौके पर प्रहलाद आदिवासी व बहादुर आदिवासी थे,

जिन्होंने घटना देखी व बीच–बचाव किया। अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट पर से थाना–खनियांधाना के अपराध क्रमांक 198/2022 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा.दं.सं. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। दौराने विवेचना फरियादी का मेडीकल कराया गया, उसका कथन लिया गया, बाद जिला–चिकित्सालय इलाज हेतु भर्ती कराया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लिये गये। विवेचना के दौरान फरियादी की इलाज के दौरान दिनांक 24.04.2022 को मृत्यु हो जाने से थाना–कोतवाली शिवपुरी से मर्ग क्रमांक 0/22 अंतर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. की डायरी मय प्रपत्र, मरीज की मृत्यु सूचना पत्रक, मर्ग इंटीमेशन, सफीना फार्म, नक्शा पंचायतनामा, शव शिनाख्तगी पंचनामा, शव सुपुर्दगी पंचनामा प्राप्त हुआ, जिस पर से असल मर्ग क्रमांक 22/22 का कायम कर प्रकरण में शामिल किया गया। फरियादी/मृतक छोटू आदिवासी की पीएम रिपोर्ट एवं इलाज के कागजात मेडीकल कॉलेज शिवपुरी से प्राप्त कर मृतक की मौत का स्पष्ट कारण ज्ञात करने हेतु क्योरी कराने पर मृतक की मृत्यु सेप्टीसिमिक शॉक एवं मल्टीऑर्गन फेल्योर से होना जिसका कारण सख्त व बौथरी वस्तु द्वारा मुंदी चोट के कारण होना संभव लेख किया है। उक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में धारा 302 भा.दं.सं. का इजाफा किया गया एवं अभियुक्त देवचंद्र को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त लाठी मुताबिक मेमो धारा 27 साक्ष्य विधान के जप्त की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में आरोप विरिचत किये जाकर अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ हो चुकी होकर, 7 साक्षी के कथन हो चुके हैं तथा अन्य साक्ष्य हेतु आगामी दिनांक 13.06.2023 नियत की गई है।

आवेदन व तर्कों पर विचार किया गया। इस प्रक्रम पर अनुसंधान के दौरान अब तक एकत्र की गई साक्ष्य सामग्री की कठोर संवीक्षा अपेक्षित नहीं है। अभियोजित घटनाक्रम अनुसार दिनांक 11.04.2022 को आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा मृतक जो कि अभियुक्त का ही पुत्र था, की इलाज के दौरान दिनांक 24.04.2022 को पी.एम. रिपोर्ट अनुसार सेप्टीसिमिक शॉक व मल्टी ऑर्गन फेलुअर व पेट में सख्त व बौथरी वस्तु से मुंदी चोट के कारण होना प्रथम दृष्टया बताया गया है। प्रकरण में अभियोजन के 7 साक्षी के कथन अभिलेख पर हैं तथा चार–पांच साक्षी के कथन

होना शेष हैं। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 13.05.2022 से लगभग एक वर्ष की अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है एवं अभिलेख के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। *न्यायदृष्टांत* ***स्टेट ऑफ राजस्थान विरूद्ध बालचंद एआईआर 1977 एससी 2447*** *में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत का मूलभूत सिद्धांत "बेल नॉट जेल" बतलाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही न्यायदृष्टांत* ***दाताराम सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश एआईआर 2018 एससी 980*** *में बतलाया है कि हमारे दांडिक विधिशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि जमानत देना एक सामान्य नियम है और अभियुक्त को जेल भेजना एक अपवाद है लेकिन दुर्भाग्य से ये मूलभूत सिद्धांत औझल होते जा रहे हैं और इसी कारण से अधिक से अधिक व्यक्ति लंबे समय से अभिरक्षा में है, जो समाज के लिये और हमारे दांडिक न्यायशास्त्र के लिये अच्छी स्थिति नहीं है। जमानत एक विवेकाधिकार का विषय है। लेकिन मूल सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। न्यायदृष्टांत* ***टीवीएस महेश्वरराव विरूद्ध स्टेट ऑफ एमपी आईएलआर 2018 एमपी 1012 भी*** *उक्त संबंध में अवलोकनीय है*। ऐसी स्थिति में गुण–दोषों पर अन्य कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रश्नगत् जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और यह आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त की ओर से 50,000/– रूपये की सक्षम जमानत और 50,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र अपराध की पुनरावृत्ति न करने व अन्य अपराध में सम्मिलित न होने व मामले के साक्षियों को प्रभावित न करने, विचारण में बिलम्ब कारित न करने एवं सहयोग करने एवं प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहने की शर्त के साथ निष्पादित हो, तो उसे अभिरक्षा से अभिमुक्त कर दिया जाए।

आवेदन का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज किया जावे। आवेदन मूल प्रकरण के साथ संलग्न हो।

प्रकरण पूर्ववत् अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 13.06.2023 को पेश हो।

सही/–

हरिओम अतलसिया
अति. अपर सत्र न्यायाधीश,
पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

HARIOM ATLASIA
Digitally signed by HARIOM ATLASIA
Date: 2023.05.17 16:13:43 +0530